

दिनांक आज्ञा पत्र

15.4.21

पत्रावली पेश / प्रती- 304 फल 39
 पत्रावली पेश दिनांक 5.5.21 को पेश की

5.5.21

DUE TO LOCKDOWN FILE PUT

ON DATE AT 14.7.21

READER

14.7.21

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 4.8.21 को पेश हो।

4.8.21

पत्रावली पेश। अपीलान्त/रेसपोर्ट के अधिवक्ता ने जाहिर किया है कि यह अपील धारा 212 में पारित आदेश के विरुद्ध धारा 225 में प्रस्तुत की गई है। इस प्रकरण में मूलवाद का निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में यह अपील प्रभावहीन हो चुकी है इसे खारिज किया जावे। सूंकी विचारण न्यायालय में मूलवाद खारिज हो चुका है अतः यह अपील प्रभावहीन हो चुकी है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त प्रभावहीन होने से खारिज की जाती है।। निर्णय सारे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरजीब लकमील दाखिल दफतर हो।

भू प्रबन्ध अधिकारी एय
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी
 सीकर